प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से.
मुख्य सचिव
PRATYAYA AMRIT, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel.: 0612-2215804, 2217085
E-mail:cs-bihar@nic.in

पत्रांक:-उप/वि०-17-149/2019/1481/ पटना, दिनांक 05/10/22

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– पंचायत सरकार भवनों में सभी पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–8468 दिनांक 02.09.2022 एवं पत्रांक–8728 दिनांक 09.09.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इन पंचायत सरकार भवनों की परिकल्पना मिनी सचिवालय के रूप में किया गया है, जहाँ सभी विभागों से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। इन पंचायत सरकार भवनों का उपयोग बहुउद्देशीय रूप से करने के निमित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही इन भवनों को बाढ़ एवं आपदाओं जैसे अतिरिक्त कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा।

वर्तमान में अबतक कुल 3215 पंचायत सरकार भवन निर्मित है। इन निर्मित पंचायत सरकार भवनों में पाँच विभागों के निम्नवत् पंचायत स्तरीय कर्मियों को उपस्थित रहकर कार्यों का निष्पादन अनिवार्य रूप से किया जाना है :–

1 राजस्व कर्मचारी–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

2. पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल, कार्यपालक सहायक–पंचायती राज विभाग।
3. पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक–ग्रामीण विकास विभाग।
4. किसान सलाहकार–कृषि विभाग।
5. विकास मित्र–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

इस संदर्भ में समीक्षोपरान्त यह संज्ञान में आया है कि राज्य के कई पूर्णरूपेण निर्मित एवं हस्तांतरित पंचायत सरकार भवनों में उपस्थित होकर इन कर्मियों द्वारा पंचायत स्तरीय कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है जिससे पंचायतों में आम–जनों को सभी विभागों के मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित पंचायत सरकार भवनों का बहुउद्देशीय रूप से उपयोग के उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं हो पा रही है।

विदित हो कि पूर्व में भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत सरकार भवनों/पंचायत भवनों में पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सभी क्रियाकलाप किये जाने से संबंधित दिशा–निदेश निर्गत है।

ज्ञातव्य हो कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9630 दिनांक– 01.06.2026 के माध्यम से यह निदेशित किया गया है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति पंचायत सरकार भवनों में अधिष्ठापित बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज किया जाय।

अतएव अपने विभाग अंतर्गत पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति सभी पंचायत सरकार भवनों/पंचायत भवनों में सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए एवं उपस्थित नहीं रहने वाले कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

अनुलग्नक :–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

A·10·2026

(प्रत्यय अमृत)